रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

सत्यमेव जयते

एस.जी.-डी.एल.-अ.-19022026-270307
SG-DL-E-19022026-270307

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 56] दिल्ली, बुधवार, फरवरी 18, 2026/माघ 29, 1947 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 471
No. 56] DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 18, 2026/MAGHA 29, 1947 [N. C. T. D. No. 471

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

कार्यालय (राजस्व) एवं मंडलीय आयुक्त

अधिसूचना

दिल्ली, 18 फरवरी, 2026

फा. सं. एडीएम/एलएसी/एसडब्ल्यू/2015/13599.— जबकि सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि ग्राम–ताजपुर खुर्द उप–मंडल/तहसील मटियाला जिला दक्षिण–पश्चिम दिल्ली में सार्वजनिक उद्देश्य, अर्थात् दिल्ली जल बोर्ड के लिए अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र (डब्ल्यूडब्ल्यूटीपी) के निर्माण हेतु कुल 19 बीघा 14 बिस्वा भूमि की आवश्यकता है।

और जबकि गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 21 अक्टूबर, 2014 की अधिसूचना एस. ओ. 2740 के साथ पठित भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनःस्थापन में उचित प्रतिपूर्ति एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा यह घोषणा करते हैं कि ग्राम–ताजपुर खुर्द उप–मंडल/तहसील मटियाला जिला दक्षिण–पश्चिम दिल्ली में उपर्युक्त परियोजना हेतु 19 बीघा 14 बिस्वा माप वाली भूमि का एक भूखंड अधिग्रहण के अधीन है, जिसका विस्तृत विवरण इस प्रकार है:

क्र0 सं0	सर्वेक्षण संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अधिग्रहण के अंतर्गत क्षेत्र (बीघा–बिस्वा में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम तथा पता	सीमाएँ			
						उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम
1.	11//13/2	निजी	कृषि	1-1	मेसर्स एलाइड रियल्टी प्रा0 लि0 कंपनी का पता फ्लैट संख्या 49, श्री हरि अपार्टमेंट, प्लॉट संख्या 6, सेक्टर–12, द्वारका, नई दिल्ली	यूईआर–II	खसरा संख्या 11//18	11//17	रास्ता (143)
2.	11//17/2	निजी	कृषि	3-18		यूईआर–II	11//24	11//16	11//18
3.	11//18	निजी	कृषि	4-12		13/2	23	17	रास्ता (143)
4.	11//23	निजी	कृषि	4-12		11//18	16//3	11//24	रास्ता (143)
5.	11//24/1	निजी	कृषि	4-3		11//17	16//4	11//25	11//23
6.	16//1/1	निजी	कृषि	1-4	युधवीर सिंह पुत्र हरबीर सिंह ½ शेयर, मास्टर लखबीर सिंह पुत्र हरबीर सिंह ½ शेयर, दोनों का पता ई–139, साकेत, नई दिल्ली	11//21	16//1/2	16//2	15//5
7.	16//1/2 मिन	निजी	कृषि	0-4		16//1/1	16//10	16//2 तथा रास्ता (143)	15//5

वृक्ष	
किस्म	संख्या
शून्य	शून्य

संरचनाएँ	
प्रकार	प्लिंथ क्षेत्र
शून्य	शून्य

यह घोषणा भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनःस्थापन में उचित प्रतिपूर्ति एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 15 के अंतर्गत प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् की गई है। जबकि, अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत निर्धारित अवधि के भीतर किसी भी हितबद्ध व्यक्ति से कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। भूमि अधिग्रहण के कारण पुनःस्थापन किए जाने वाले परिवारों की संख्या शून्य है।

कोयला, लौह–पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानें जो उक्त भूमि या उक्त भूमि के किसी विशेष हिस्से के नीचे स्थित हैं, खदानों और खनिजों के ऐसे हिस्सों के अतिरिक्त जिन्हें उस उद्देश्य हेतु परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदने या हटाने या उपयोग करने की आवश्यकता हो सकती है, जिसके लिए भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है, आवश्यक नहीं हैं। भूमि की योजना का निरीक्षण किसी भी कार्य दिवस पर भूमि अधिग्रहण कलेक्टर जिला दक्षिण पश्चिम दिल्ली, पुराना टर्मिनल कर भवन, कापसहेड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है।

पुनर्वास एवं पुनःस्थापन योजना का सारांश संलग्न है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल,

के आदेश से तथा उनके नाम पर,

नीरज सेमवाल, आईएएस, सचिव (राजस्व) सह मंडलीय आयुक्त

पुनर्वास एवं पुनःस्थापन योजना का सारांश

1. **परियोजना का नाम**	दिल्ली जल बोर्ड हेतु अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र (डब्ल्यूडब्ल्यूटीपी) का निर्माण

2. **भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के नाम/संख्या तथा पुनर्वास एवं पुनःस्थापन हेतु उनके संबंधित दावे की प्रकृति।**	जैसा कि क्रम संख्या 4 पर उल्लेखित है

3. **प्रभावित परिवारों को दिए गए पुनर्वास एवं पुनःस्थापन पात्रता के प्रावधान की समय सीमा**	आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 की धारा 38 के अंतर्गत अधिनिर्णय की तिथि से 6 माह के भीतर।

4. क्र0 सं0	**दावेदार/ प्रभावित परिवार/ भूमि मालिकों का नाम**	**आधार संख्या**	**व्यवसाय**	**पुनर्वास एवं पुनःस्थापन**	**टिप्पणी**
1.	युधवीर सिंह पुत्र हरबीर सिंह	शून्य	परामर्शदाता	i. विस्थापन की स्थिति में आवास इकाइयों का प्रावधान ii. आवंटित भूमि iii. विकसित भूमि हेतु प्रस्ताव iv. वार्षिकी/रोजगार v. विस्थापित परिवार के लिए 1 वर्ष की अवधि हेतु निर्वाह अनुदान vi. विस्थापित परिवार के परिवहन का खर्च। vii. पशुशाला/छोटी दुकान का खर्च viii. कारीगरों, छोटे व्यापारियों तथा कुछ अन्य लोगों को एकमुश्त अनुदान ix. मछली पकड़ने के अधिकार x. एकमुश्त पुनःस्थापन भत्ता	i. **एनए** (**लागू नहीं**) क्योंकि प्रभावित परिवार के लिए कोई विस्थापन नहीं है। ii. **लागू नहीं** क्योंकि यह सिंचाई परियोजना नहीं है। iii. **लागू नहीं** क्योंकि शहरीकरण के प्रयोजनार्थ भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जा रहा है। iv. **लागू नहीं** क्योंकि प्रभावित परिवार का कोई विस्थापन नहीं है तथा न ही आजीविका की क्षति हुई है (जिन परिवारों के पास आय के वैकल्पिक स्रोत हैं)। v. **लागू नहीं** क्योंकि प्रभावित परिवार के लिए कोई विस्थापन नहीं है। vi. **लागू नहीं** क्योंकि प्रभावित परिवार के लिए कोई विस्थापन नहीं है। vii. **लागू नहीं** क्योंकि प्रभावित परिवार के लिए कोई विस्थापन नहीं है। viii. **लागू नहीं** क्योंकि अधिग्रहित की जा रही भूमि प्रभावित क्षेत्र में गैर–कृषि भूमि/वाणिज्यिक/औद्योगिक संरचना नहीं है।
2.	लखबीर सिंह पुत्र हरबीर सिंह	शून्य	परामर्शदाता		
3	एलाइड रियल्टी प्रा0 लि0	शून्य	निजी कंपनी		

				xi. स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण शुल्क, यदि कोई हो	ix. **लागू नहीं** यह कोई सिंचाई/जलविद्युत परियोजना नहीं है। x. प्रभावित परिवार को मात्र 50000/– रुपये का एकमुश्त अनुदान दिया जाएगा। xi. यह खर्च संबंधित विभाग/एजेंसी (दिल्ली जल बोर्ड) द्वारा वहन किया जाएगा।

मेकाला चैतन्य प्रसाद, आईएएस
डीएम/डीसी/कलेक्टर
जिला दक्षिण–पश्चिम, दिल्ली

OFFICE OF THE SECRETARY (REVENUE)-CUM-DIVISONAL COMMISSIONER

NOTIFICATION

Delhi, the 18th February, 2026

F. No. ADM/LAC/SW/2015/13599.— Whereas it appears to the Government that a total of **19 Bigha 14 Biswa** land is required in the Village-**Tajpur Khurd** Sub-division/Tehsil **Matiala** District South-West Delhi for public purpose, namely, Construction of **Waste Water Treatment Plant (WWTP)** for **Delhi Jal Board**.

And whereas in exercise of powers conferred by Sub-Section (1) of Section 19 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 read with Government of India, Ministry of Home Affairs Notification S.O. 2740 dated 21" October, 2014, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is hereby pleased to declare that a piece of land measuring **19 Bigha 14 Biswa** is under acquisition for the above said project in the Village **Tajpur Khurd** Sub-division/Tehsil **Matiala** District South-West Delhi whose detailed description is as following:

Sl. No.	Survey No.	Type of title	Type of land	Area under acquisition (in Bigha-Biswa)	Name and address of person interested	Boundaries			
						N	S	E	W
1.	11//13/2	Pvt.	Agri.	1-1	M/s Allied Realty Pvt. Ltd. Company R/o Flat No. 49, Sri Hari Apartment, Plot No. 6, Sector-12, Dwarka, New Delhi	UER- II	Kh. No. 11//18	11//17	Rasta (143)
2.	11//17/2	Pvt.	Agri.	3-18		UER- II	11//24	11//16	11//18
3.	11//18	Pvt.	Agri.	4-12		13/2	23	17	Rasta (143)
4.	11//23	Pvt.	Agri.	4-12		11//18	16//3	11//24	Rasta (143)
5.	11//24/1	Pvt.	Agri.	4-3		11//17	16//4	11//25	11//23

6.	16//1/1	Pvt.	Agri.	1-4	Yudhvir Singh S/o Harbir Singh ½ Share, Master Lakhbir Singh S/o Harbir Singh ½ Share both R/o E-139, Saket, New Delhi	11//21	16//1/2	16//2	15//5
7.	16//1/2min	Pvt.	Agri.	0-4		16//1/1	16//10	16//2 & Rasta (143)	15//5

Trees	
Variety	Number
NIL	NIL

Structures	
Type	Plinth area
NIL	NIL

This declaration is made after completion of the process under Section 15 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013). Whereas, no objection has been received from any person interested within the prescribed period under Section 15 of the Act. The number of families likely to be resettled due to land acquisition is Nil."

Mines of coal, iron-stone, slate or other minerals lying under the said land or any particular portion of the said land, except such parts of the mines and minerals which may be required to be dug or removed or used during the construction phase of the project for the purpose of which the land is being acquired, are not needed. A plan of the land may be inspected in the office of the Land Acquisition Collector District South West Delhi, Old Terminal Tax Building, Kapashera on any working day.

A summary of the Rehabilitation and Resettlement Scheme is appended.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the
National Capital Territory of Delhi,

NEERAJ SEMWAL, IAS, Secy. (Revenue) cum Divisional Commissioner

SUMMARY FOR REHABILITATION & RESETTLEMENT SCHEME

1. Name of Project	**Construction of Waste Water Treatment Plant (WWTP) for Delhi Jal Board**

2. Name/Number of persons interested in the land and the nature of their respective claim for Rehabilitation and Resettlement.	*As men*tioned at Serial No.4

3. Time limit for provision of Rehabilitation and Resettlement Entitlement given to the affected families	Within 06 months from the date of award u/s 38 of RFCTLARR Act, 2013.

4 S. No.	**Name of Claimant/Affected Family**	**Aadhar No.**	**Occupation**	**Rehabilitation and Resettlement Entitlement**	**Remarks**
1.	Yudhvir Singh S/o Harbir Singh	NIL	Consultant	i. Provision of housing units in case of displacement. ii. Land for allotted iii. Offer for Developed Land iv. Annuity/Employment v. Subsistence grant for displaced family for period of 1 year. vi. Transportation cost for displaced family. vii. Cattle Shed/Petty shop cost viii. One time grant to artisan, small traders and certain others. ix. Fishing rights x. One time resettlement allowance	i. **NA (Not Applicable)** as there is no displacement for the affected family. ii. **NA** as it is not irrigation project. iii. **NA** as land is not being acquired for urbanization purpose. iv. **NA** as there is no displacement for the affected family nor loss of livelihood (families having alternate sources of income). v. **NA** as there is no displacement for the affected family. vi. **NA** as there is no displacement for the affected family.
2.	Lakhbir Singh S/o Harbir Singh	NIL	Consultant		
3.	Allied Reality Pvt. Ltd	NIL	Private Company		

				xi. Stamp duty and registration fees, if any	vii. **NA** as there is no displacement for the affected family. viii. **NA**, as land being acquired is not a non-agricultural land/commercial/industrial structure in the affected area. ix. **NA**, it is not an irrigation/hydel project. x. Affected family shall be given one time grant of 50000/- Rupees only. xi. To be borne by the requiring department/agency (Delhi Jal Board).

MEKALA CHAITANYA PRASAD, IAS
DM/DC/Collector
District South West Delhi

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2026.02.19 15:38:12 +05'30'